कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय का भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 6226/2020 हड़माना राम गर्ग एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6226/2020 हड़माना राम गर्ग व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.07.2020 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी. सिविल याचिका संख्या 21214/2017 ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "In the result, this writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents No.4 to 8 as per their placement in the merit list."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण हड़माना राम गर्ग व अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पृथक–2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	हड़माना राम गर्ग	07.01.1979	1774	28.08.2018	30.08.2018 मध्यान पूर्व
2	राकेश कुमार जांगिड़	20.01.1979	891	24.08.2018	29.08.2018
3	मनोज कुमार	10.07.1987	1789	24.08.2018	04.09.2018 मध्यान पश्चात
4	शिशपाल गर	02.05.1987	980	24.08.2018	27.08.2018 मध्यान पश्चात

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी मेरिट क्रमांक –2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि रेपडावास, सोजत,पाली में दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 6226/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 30.07.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी (मेरिट क्रमांक–2021) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया

गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

मीनाक्षी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/या. 6226/2020 दिनांक : 02.05.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
02– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
03– निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
04– संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .....।
08– संबंधित कार्मिक .....।
09– निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर

: : आदेश : :

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः– शिविरा/ माध्य / संस्था/ सी–5/ नियुक्ति – भूगोल/ पीएससी–15/2017 दिनांक–28.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के प्रथम नियुक्ति आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात् आरपीएससी से अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 28.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। जिसके क्रम में अन्तिम नियुक्ति आदेश दिनांक–24.12.19 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक–28.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थी धनराज मेघवाल द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय,जोधपुर में याचिका संख्या 6864/2020 धनराज मेघवाल बनाम राज्य सरकार एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 6864/2020 धनराज मेघवाल बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2020 में याचिका को एस.बी.सी.या.स. 21214/2017 ओम प्रकाश व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–21.11.2017 तथा एस.बी.सी.या.स. 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक–01.04.2015 से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है " In the result the writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents No.4 to 8 as per their placement in the merit list"

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी धनराज मेघवाल द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक–28.06.2017 के अनुसार स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक नियुक्त कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र. सं.	नाम कार्मिक	जन्म दिनांक	मेरिट क्रं	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश
1	DHANRAJ MEGHWAL	20.07.1989	987	28-08-2018	31-08-2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक भूगोल विषय के प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक–28.06.2017 में कार्मिक सुमन मेरिट क्रमांक 1190 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी सुमन द्वारा राउमावि. मेहारा जाटुवास खेतडी (216016) झुंझुंनूं में दिनांक–30.06.2017 मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका संख्या 6864/2020 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक–10.08.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिविक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी सुमन (मेरिट क्रमांक 1190) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

उल्लिखित आदेश दिनांक–28.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में सुमन द्वारा दिनांक–30.06.2017 मध्याह्न पूर्व को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यिर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

सुमन द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरान्त से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपरोक्त उल्लेखित याचिकार्थी के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथी (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक सुमन द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपरोक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होगें, परन्तु वे सभी नोशनल परिलाभ के ही हकदार होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित पक्षकार सूचित होवें

(गौरव अग्रवाल)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/संस्था/सी–5/धनराज मेघवाल/भूगोल/नोशनल/या.स. 12841/2019 **दिनांक–** 03/05/23

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
02. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान सरकार जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
04. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
05. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा।
06. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर।
07. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा।
08. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु ।
09. संबंधित प्राधानाचार्य/संबंधित कार्मिक।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय को भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 7830/2020 छोटू राम बनाम बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7830/2020 छोटु राम बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.09.2020 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णीत प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21214/2017 ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "In the result, this writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents No.4 to 8 as per their placement in the merit list."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थीगण छोटू राम व अन्य अभ्यर्थियों द्वारा पृथक–2 अभ्यावेदन प्रस्तुत किये गये जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकार्थी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	छोटु राम	20.10.1988	1190	24.08.2018	01.09.2018 मध्यान पश्चात्
2	मैना कुमारी चारण	01.06.1979	2024	28.08.2018	31.08.2018

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक कैलाशी मीणा मेरिट क्रमांक –2035 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि चिलेश्वर–माण्डल, भीलवाड़ा में दिनांक 21.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 7830/2020 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 04.09.2020 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी कैलाशी मीणा (मेरिट क्रमांक–2035) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में कैलाशी मीणा द्वारा दिनांक 21.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

कैलाशी मीणा द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक कैलाशी मीणा द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा / मा / संस्था / सी–6 / रावि / या. 7830 / 2020 दिनांक : 02/05/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
02– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
03– निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
04– संबंधित संयुक्त निदेशक / मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) / मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि / राबाउमावि .....।
08– संबंधित कार्मिक .....।
09– निजी / रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती परीक्षा–2015 के अभ्यर्थियों के चयनोपरान्त इस कार्यालय का` भिजवाई गई अभिस्तावना के आधार पर इस कार्यालय के आदेश क्रमांक :–शिविरा/माध्य/संस्था/सी–6/नियुक्ति–रावि/पीएससी–15/2017 प्रथम नियुक्ति आदेश दिनांक 09.06.2017 द्वारा अभ्यर्थियों के पदस्थापन आदेश जारी किये गये। तत्पश्चात आरपीएससी से प्राप्त अभिस्तावना, आवेदन पत्रो की जांच एवं रिशफल परिणाम एवं विविध कारणों के आधार पर शेष अभ्यर्थियों के आदेश दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी किये गये। उक्त भर्ती का अंतिम नियुक्ति आदेश दिनांक 24.12.2019 को जारी किया गया। इस प्रकार दिनांक 09.06.2017 के पश्चात् जारी होने वाले आदेशों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में याचिका संख्या 10036/2021 रामराज मीणा बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य दायर कर आरपीएससी वरीयता में स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य पारिणामिक लाभ दिये जाने की मांग की गई।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने एस.बी.सिविल याचिका संख्या 10036/2021 रामराज मीणा बनाम राजस्थान राज्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक–13.09.2021 द्वारा याचिकार्थिगण को प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन पेश करने और याचिकार्थीगण द्वारा पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन पेश किये जाने की स्थिति में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पूर्व निर्णित प्रकरण एस.बी.सिविल याचिका संख्या 21214/2017 ओम प्रकाश बनाम राजस्थान राज्य व अन्य एवं एस.बी.सी. याचिका संख्या 3247/2015 हेमलता श्रीमाली व अन्य बनाम राजस्थान राज्य से कवर्ड करते हुए आदेशित किया है "In the result, this writ petition is allowed and the respondents are directed to treat the petitioners senior to respondents No.4 to 8 as per their placement in the merit list."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में याचिकार्थी रामराज मीणा अभ्यर्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया जिनमें मुख्य रूप से इनके द्वारा आदेश दिनांक 09.06.2017 के आधार पर स्वयं से न्यून वरिष्ठता धारक कार्मिकों के समान वरिष्ठता, वेतन वृद्धि एवं अन्य सेवा परिलाभ की मांग की है।

क्र.सं	नाम याचिकाथी	जन्मतिथि	मेरिट क्रमांक	व्याख्याता पद पर नियुक्ति आदेश दिनांक	व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण आदेश दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	**रामराज मीणा**	**13.03.1986**	**1866**	**24.08.2018**	**31.08.2018**

इस कार्यालय के द्वारा जारी प्राध्यापक राजनीति विज्ञान के नियुक्ति आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा कार्मिक मीनाक्षी मेरिट क्रमांक –2021 को नियुक्ति प्रदान की गई। अभ्यर्थी कार्मिक द्वारा राउमावि रेपडावास, सोजत,पाली में दिनांक 16.06.2017 को मध्याह्न पूर्व कार्यग्रहण कर लिया गया।

उपर्युक्त अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे दायर याचिका संख्या 10036/2021 के अन्तर्गत जारी निर्णय दिनांक 13.09.2021 एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा व्याख्याता एवं समकक्ष अभ्यर्थियों के चयन उपरान्त विभिन्न चरणों में अभ्यर्थियों के पदस्थापन राजस्थान सेवा नियम–8 के तहत नियत मानदेय/विद्यमान वेतनमान (पूर्व से सेवारत) पर दो वर्ष के परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण काल में की गई थी। उपर्युक्त उल्लिखित अभ्यर्थियों में से कनिष्ठ वरीयताधारी मीनाक्षी (मेरिट क्रमांक–2021) का पदस्थापन इस कार्यालय के उपर्युक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 10.06.2017 द्वारा किया गया था, जिसके क्रम में मीनाक्षी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को कार्यग्रहण किया। कनिष्ठ अभ्यर्थियों को भी वरिष्ठता एवं वेतन वृद्धि एवं अन्य परिलाभ परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर ही देय हुए है।

मीनाक्षी द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने के उपरांत से नियमित वेतन श्रृंखला एवं ग्रेड–पे प्रदान किये गये। माननीय न्यायालय निर्णयानुसार उपर्युक्त उल्लेखित याचिकार्थियों के द्वारा परिवीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण किये जाने की तिथि (स्थाईकरण) से कनिष्ठ वरीयता धारित कार्मिक मीनाक्षी द्वारा

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी वरीयता के अनुसार ही उपर्युक्त याचिकार्थी वरिष्ठता के समस्त लाभ प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, परंतु वे सभी नोशनल परिलाभ के हकदार ही होगें। उपर्युक्तानुसार अभ्यावेदन निस्तारण किया जाता है। सभी संबंधित सूचित हो।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस.
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांकः–शिविरा/मा/संस्था/सी–6/रावि/या. 10036/2021 दिनांक : 02/05/2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

01– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
02– विशिष्ठ सहायक माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्राथमिक एवं माध्यमिक), राजस्थान , जयपुर।
03– निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव (स्कूल शिक्षा) राजस्थान जयपुर
04– संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
05– संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि)/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
06– सिस्टम एनालिसिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय–हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ
07– संबंधित संस्था प्रधान राउमावि/राबाउमावि .....।
08– संबंधित कार्मिक .....।
09– निजी/रक्षित पत्रावली।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा निदेशक
बीकानेर